

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली
(एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय परिसर, करौली)

क्रमांक:-जिविसेप्रा/2025/44

दिनांक 18/03/25

सीमित निविदा सूचना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के अधीन लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल कार्यालय के लिये एयरकंडीशनर, अलमीरा, बुक रैक, टेबल लकड़ी क्रय किये जाने है अतः उक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु बोनाफाईड निर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सोलसेलिंग/विपणन/ एजेन्ट से अपने अधिकृत लैटर पैड पर सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र सं	सामग्री/व्यवस्था का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	निविदा प्रपत्र जमा कराने की प्रारम्भ तिथि व समय	निविदा प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
1	एयरकंडीशनर, अलमीरा, टेबिल, बुक रेक्स, विजिटर कुर्सी	1.50 (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये)	18/03/2025 10.00 AM	20/03/2025 11.00 AM	20/03/2025 01.30 PM

निविदा की शर्तें :-

1. निविदा से सम्बन्धित सभी शर्तों की जानकारी कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर की जा सकती है।
2. विहित समय व तारीख के बाद या डांक से जो निविदाएं प्राप्त होंगी वे स्वीकार नहीं होगी।
3. निविदा प्रपत्र एवं अन्य संबंधित विवरण राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in पर या जिला एवं सेशन न्यायालय करौली की वेबसाइट पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।
4. निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधोहस्ताक्षकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा।
5. कार्यालय द्वारा जारी निविदा ही स्वीकार होगी।

Handwritten Signature
अध्यक्ष
उपापन समिति
(सचिव, जिला विधिक सेवा प्रा0)
करौली
दिनांक : 18/03/25

क्रमांक : जिविसेप्रा/2025/900-904

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. नोटिस बोर्ड जिला एवं सेशन न्यायालय करौली/कलक्ट्रेट करौली/ नगर परिषद करौली/ पंचायत समिति करौली एवं कार्यालय हाजा को चस्पा हेतु।
2. मैसर्स
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय करौली को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा के दस्तावेज जिला एवं सेशन न्यायालय करौली की वेबसाइट पर अपलोड करें।

Handwritten Signature
अध्यक्ष
उपापन समिति
(सचिव, जिला विधिक सेवा प्रा0)
करौली

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1. निविदा संख्या :- सीमित निविदा सूचना
2. मद जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है :- एयरकंडीशनर, जम्बो कूलर, अलमीरा, ऑफिस चेयर व टेबिल की आपूर्ति
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/निविदा दाता का नाम व डाक का पूरा पता.....
.....
..... दूरभाष नंबर मोबाईल नम्बर.....
4. निविदादाता का स्वामित्व का प्रकार (प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिप/कम्पनी)
5. निविदा दाता /फर्म का GST नम्बर
6. फर्म/निविदा दाता के पेन नंबर
7. निविदा दाता/फर्म की ई-मेल आई.डी.....
8. बैंक खाता संख्या का विवरण मय IFSC कोड
9. सामग्री/कार्य व्यवस्था के लिए प्रदाय दरें वित्तीय निविदा में अंकित की गई हैं।
10. सामग्री Annexure--E & F में दर्शाये गये तकनीकी स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही सपलाई की जावेगी।
11. निम्न दस्तावेज संलग्न है -
 1. फर्म का GST प्रमाण पत्र की प्रति।
 2. आयकर पेन नम्बर की प्रति।
 3. साझेदार फर्म होने की स्थिति में सभी साझेदारों के नाम व साझेदारी विलेख की प्रति।
कम्पनी होने की स्थिति में कम्पनी रजिस्ट्रेशन व निदेशकों का विवरण।
 4. एस.आर. 11 में अधिकृत विक्रेता संबंधी घोषणा पत्र
 5. फर्म पूर्व में ब्लेक लिस्टेड नहीं होने बाबत 50 रु के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र
 6. निविदा दाता फर्म का अंकेक्षक द्वारा प्रमाणित पिछले 2 वित्तीय वर्षों का वार्षिक वित्तीय टर्न ओवर
 7. अनुलग्नक - A To J
12. हम कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक..... में विर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर संलग्न कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

दिनांक:-

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली

Technical Bid Check List

ए.सी एवं फर्नीचर की आपूर्ति

Sr. No.	Particulars	Enclosed (Yes/No)
1.	Self Attested copy of Registration Certificate of GST	
2.	Self Attested Copy of PAN Card	
3.	Constitution of the firm Whether proprietorship / Partnership/company. In case of Partnership firm Enclose Copy of Partnership deed & Partners Details In case of Company Registration Copy of the Company & Directors Details	
4.	Annexure-A to i	
5.	Self Signed of Bidder in all pages of Bid Documents	
6.	Bank account Detail	
7.	Any Other Required Documents	

नोट:-

1. फर्म पूर्व में ब्लेक लिस्टेड नहीं होने बाबत 50 रु के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है तथा निविदा दाता फर्म का पिछले 2 वित्तीय वर्षों का वार्षिक वित्तीय टर्न ओवर कम से कम 10 लाख रुपये का होना अनिवार्य है जिसके लिए निविदा दाता को सीए से अंकक्षित/प्रमाणित बेलेन्स शीट/P&L की कॉपी लगाना अनिवार्य है।
2. तकनीकी बिड के सभी कॉलम की पूर्ति करना आवश्यक है जिसके अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी। सफल तकनीकी बिड की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

Signature of Bidder

Name and Address with Seal.....

A

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली

वित्तीय निविदा प्रपत्र

ए.सी एवं फर्नीचर की आपूर्ति की दरें

फर्म का नाम मय पता

SNO.	NAME OF ITEMS (As per Attached Item Technical Specification Details)	Quantity	Per Item Rate (including all taxes and Charges)	Total Rate
01	02	03	04	05 (3x4)
1	Air Conditioner 2.0 ton	01		
2	Air Conditinoer 2.5 ton	01		
3	Almira iron	03		
4	Books reck iron	01		
5	Table	02		
6.	Visitors Chair	08		

- 1 उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति Annexure E में दर्शाये गये तकनीकी स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही की जावेगी।
- 2 दरें सभी कर एवं शुल्क सहित अंकित है।
- 3 समान की संख्या निविदा खुलने के बाद कम या अधिक की जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली

वित्तीय निविदा प्रपत्र

ए.सी एवं फर्नीचर की आपूर्ति की दरें

फर्म का नाम मय पता

SNO.	NAME OF ITEMS (As per Attached Item Technical Specification Details)	Quantity	Per item Rate (including all taxes and Charges)	Total Rate
01	02	03	04	05 (3x4)
1	Air Conditioner 2.0 ton	01		
2	Air Conditinoer 2.5 ton	01		
3	Almira iron	03		
4	Books reck iron	01		
5	Table	01		
6.	Visitors Chair	08		

- 1 उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति Annexure E में दर्शाये गये तकनीकी स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही की जावेगी।
- 2 दरें सभी कर एवं शुल्क सहित अंकित है।
- 3 समान की संख्या निविदा खुलने के बाद कम या अधिक की जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

A

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली

निविदा की शर्त :-

1. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग अलग सील बन्द लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी - तकनीकी निविदा के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से एयरकंडीशनर, कूलर, अलमीरा, बुक रैक, टेबिल की आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से एयरकंडीशनर, कूलर, अलमीरा, बुक रैक, टेबिल की आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा अंकित करना होगा एवं दोनों लिफाफे (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) एक सील बन्द लिफाफे में रखकर एयरकंडीशनर, कूलर, अलमीरा, बुक रैक, टेबिल की आपूर्ति हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अंकित करना होगा।
2. तकनीकी निविदा :- इस लिफाफे में तकनीकी निविदा की चैक लिस्ट के अनुसार दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है जिसके अभाव में तकनीकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी। सर्व प्रथम तकनीकी निविदा खोली जावेगी तथा तकनीकी रूप से योग्य फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
3. वित्तीय निविदा :- इस लिफाफे में निर्धारित दर प्रपत्र में एयरकंडीशनर, कूलर, अलमीरा, बुक रैक, टेबिल की आपूर्ति की दरें एवं वांछित जानकारी अंकित करे।
4. निविदा दस्तावेज राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।
5. सील बन्द निविदा दस्तावेज निर्धारित दिनांक एवं समय तक तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करवाया जाना आवश्यक है। निश्चित समय व तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी।
6. प्राप्त सील बन्द निविदा दस्तावेज निर्धारित तिथि एवं समय पर क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
7. L-1 फर्म का निर्धारण आइटम वाईज प्रस्तुत दरों के हिसाब से किया जावेगा।
8. सफल निविदा दाता को नियमानुसार 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी एवं निर्धारित प्रपत्र में 500/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. दर्शायी गई दरें अनुबन्ध अवधि से एक वर्ष तक के लिए वैध है। इसके आगे दरें परस्पर सहमति से ही बढ़ाई जा सकेंगी।
10. इस कार्यालय द्वारा किये जाने वाले भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. की राशि काटी जावेगी।
11. फर्म का जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन होना आवश्यक है। निविदा के साथ माल एवं सेवाकर रजिस्ट्रेशन (GST) प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी PAN की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
12. निविदा प्रारूप पूर्णरूपेण सही एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना आवश्यक है। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
13. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं /या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर कर सील (फर्म की) किए जाने चाहिए। अंको एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित राशि मान्य होगी।
14. तकनीकी निविदा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर क्रम संख्या अंकित करनी होगी।
15. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की स्पेसिफिकेशन, साइज, मैक आदि की सावधानीपूर्वक जांच करली हैं। यदि उसे इन शर्तों के

किसी भाग, स्पेसीफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

16. विडदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

17. विशेष विवरण स्पेसीफिकेशन्स :-

1- प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित तकनीकी स्पेसीफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी।

2- क्रेता अधिकारी का इस सम्बंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप हैं, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।

3- वारंटी एवं गारंटी का खंड-निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालो/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया गया हो, यदि उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे सफल हो गए हैं (ताकि इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा) तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाये, रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबन्धित सनस्त संपन्न्य लागू होंगे। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा इस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

18. सफ़ाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहाँ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो यहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रामाणिक परीक्षण गृहों एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर सफ़ाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

19. परीक्षण प्रभार : परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

20. रद्द करना (Rejection):-

1- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

2- तथापि यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना तथा (feasible) नहीं सकता जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त सारि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

21. रद्द की गई वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 3 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कर्मा या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ताकि उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मदद पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित संपन्न बेचन का अधिकार होगा।

22. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जाँच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

23. प्रदाय हेतु निविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता है।

24. निविदादाता को उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

25. सुपुर्दगी अवधि : निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से आदेशानुसार आवश्यकता होने पर अविलम्ब अथवा अधिकतम सात दिवस में अपूर्ति करनी होगी। अवधि के भीतर सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा:-

1- मात्रा की सीमा-आदेश किए से देना : यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गई शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में (निविदा सूचना में दर्शित मात्रा) खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होंगे यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी। यदि क्रेता अधिकारी किसी निविदादाता धरनुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निविदा मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

26. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and security deposit)

1- समस्त निविदादाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 5 प्रतिशत जमा कराकर निर्धारित समयावधि में करार पत्र निर्मादित करना होगा।

2- निविदा कार्य निष्पादन अमानत राशि पर विनाग हास ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

3- निविदा कार्य निष्पादन राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी, शिडयूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जमा करायी जा सकती है:-

उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान / जिला उद्योग केन्द्र में लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत हैं उन फर्मों के संबंध में जिन्होंने वे उक्त रूप से राशिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिपूर्व अनुमतिपत्र प्रति प्रस्तुत करने पर राशि के भुगतान में अतिरिक्त छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगे। अन्य के लिए यह अनुमानित लागत के नियमानुसार होगा।

केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपर्युक्त प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे। निविदा कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समतुल्य निविदा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समतुल्य किया जाएगा।

1- जब निविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

- 2- जब निविदादाता संपूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- 3- निविदा प्रतिभूति राशि को समग्रहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- 4- करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत (Counter Foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

27. दरें एफ.ओ.आर. कार्यालय जिला डिस्ट्रिक्ट सेवा प्राधिकरण, काशीली होना। साथ ही समस्त कर एवं माल भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा।

28. भुगतान :-

- 1- सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- 2- उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होंगे।

29. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संशुद्ध रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से वर्क ऑर्डर के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

30. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टार के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :-

- 1- विहित सुपुर्दगी अवधि को एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत
- 2- एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत
- 3- आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत
- 4- विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत
- 5- विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा
- 6- परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
- 7- यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संवेदान्तरगत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसके द्वारा प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने को निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- 8- यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

31. **वसूलियां :** परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (लिक्विडेटेड डैमेजस) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध निविदा कार्य संपादन प्रतिभूति से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

✓

32. यदि निविदादाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।
33. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या फिर वादुओं कि लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार करना बाध्यकारी नहीं होगा।
34. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा करीली में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
35. मैंने सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्तों मुझे स्वीकार्य हैं।
36. निविदादाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
37. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/ नियम 2013 का ज्ञान एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/ नियम 2013 के नियम/ शर्तों एवं निविदा प्रपत्र में भिन्नता होने पर आरटीपीपी नियम, शर्तों तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में उल्लेखित क्रय नियम एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों मान्य होंगे।
38. बालीदाता को दरे संलग्न दर प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी है।
39. क्रय का अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जायेगा। अनुबन्ध की अवधि को आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
40. निविदा में संशोधन निविदा जारी करने के उपरांत <http://sppp.rajasthan.gov.in> वेबसाइट पर ही किये जायेंगे। निविदादाताओं द्वारा वेबसाइट पर संशोधन/स्वीकृति को प्राप्त नहीं करने के सम्बन्ध में किसी भी दावे का स्वीकार नहीं किया जायेगा।
41. उपरोक्त सामान की सफाई कायादेश में अंकित अवधि में ही आपूर्ति करना अनिवार्य है। अन्यथा नियमानुसार शर्तों आरोपित की जायेगी।
42. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेंसिल से भरी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
43. निविदा में दो गई दरों (जी.एस.टी. सहित) के अतिरिक्त कोई प्रकार देय नहीं होगा।
44. कार्य आदेश सूची अनुसार सामग्री आपूर्ति उपलब्ध करवानी होगी।
45. क्रेता अधिकारी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त समय पर प्रदायकर्ता के विनिर्माण परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निर्दिष्ट किया जावे, मालों, उपकरणों, मशीनों की सामग्री एवं कर्म- कोशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।
46. परीक्षणों के मामले में निविदा दाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य/व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जायेगा।
47. सामग्री आपूर्ति/व्यवस्था का समय सन्धि पर दिये गये प्रतिज्ञा में प्रस्तुत करना होगा। सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने पर दिये गए बुगतान किया जायेगा।
48. निविदा केवल कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र पर ही मान्य होगी।

49. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली के पास सुरक्षित होंगे और उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
50. निविदा स्वीकृत किए जाने से पूर्व कार्यालय के अधिकारी द्वारा यह सत्यापन किया जा सकता है कि निविदादाता को कार्य अनुभव है अथवा नहीं। फर्म/व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में तथा उपयोग योग्य सामान उपलब्ध है या नहीं।
51. आदेश देने पर निर्धारित अवधि में आपूर्ति नहीं कराये जाने पर शरोहर राशि जब्त करली जावेगी तथा अन्य व्यवस्था किये जाने पर हुई हानि की राशि निविदादाता से वसूल की जायेगी।
52. टेण्डर खोलने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो नगोशियेशन किया जा सकता है।
53. गंतव्य स्थानों पर सामान को निर्धारित समय पर पहुंचाने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
54. किसी भी सम्भावित दुर्घटना होने पर यदि क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ता है, तो निविदा दाता उस क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
55. निविदा दाता फर्म का पिछले 2 वित्तीय वर्षों का वार्षिक वित्तीय टर्म जोवर कम से कम 10 लाख रुपये का होना अनिवार्य है जिसके लिए निविदा दाता को लीए से अकंक्षित/प्रमाणित बलेन्स शीट/P&L की कॉपी लगाना अनिवार्य है।
56. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति में निहित होगा।
57. अन्य समस्त शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा विधियों में उल्लेखित क्रय नियम एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगी।
58. सामग्री Annexure - E में दर्शाये गये तकनीकी स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही सप्लाइ की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर गय सील

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

01. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों, स्टोर्स, उपकरणों के लिये बिड दी हैं उनका मैं/हम बौनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ थोक वितरक/प्राधिकृत डीलर/ थोक सेविंग/विपणन एजेंट हूँ/हैं।
02. यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी कार्य सम्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सम्पूत कर लिया जावे तथा बिड को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।
03. मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि हमारी फर्म को अथवा हमारी फर्म की किसी भी सामग्री/कार्य को पूर्व में किसी विभाग/राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार द्वारा ब्लेक लिस्टेड घोषित नहीं किया गया है। उक्त घोषणा पूर्ण सत्य एवं सही है।
04. मैं/हम घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना सत्य है। यदि असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी जमा धरोहर/प्रतिभूति राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाए तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

फर्म द्वारा शपथ पत्र

मैं/हम (फर्म का प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम).....

.....घोषणा करता/करते है कि हमारी फर्म.....

.....को अथवा हमारी फर्म की किसी भी सामग्री को पूर्व में किसी विभाग
/राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं किया गया है। उक्त घोषणा
पूर्ण सत्य एवं सही है।

निवेदादाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता
(सील सहित)

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

1. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
2. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
3. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
4. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
5. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
6. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
7. disclose conflict of interest, if any; and
8. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

9. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 1. have controlling partners/ shareholders in common; or
 2. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 3. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 4. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 5. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 6. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works, or Services that are the subject of the Bid; or
 7. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date:-
Place:-

Signature of bidder with seal

Name:-

Add:-

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of..... in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated.....

I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder with seal

Name :

Designation:

Address:



Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is -----

The designation and address of the Second Appellate Authority is -----

1. **Filing an appeal**
If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.
2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
4. **Appeal not to lie in certain cases** No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
 1. determination of need of procurement;
 2. provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
 3. the decision of whether or not to enter into negotiations;
 4. cancellation of a procurement process;
 5. applicability of the provisions of confidentiality.
5. **Form of Appeal**
 1. An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
 2. Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
 3. Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.
6. **Fee for filing appeal**
 1. Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
 2. The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
7. **Procedure for disposal of appeal**
 1. The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
 2. On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
 1. hear all the parties to appeal present before him; and
 2. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
 3. After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
 4. The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place:

Signature of Bidder with seal
Name:
Add:-



FORM No. 1

[See rule 83]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public
Procurement Act, 2012**

Appeal Noof

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
 1. Name of the appellant;
 2. Official address, if any;
 3. Residential address;
2. Name and address of the respondent(s):
 - 1.
 - 2.
3. Number and date of the order appealed against name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
.....
.....
..... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
..... Place
e
Date

Appellant's Signature

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:
 1. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
 2. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
 3. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.
2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities
 1. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
 2. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
 3. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.
3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods) As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

SIGNATURE OF THE BIDDER WITH SEAL

Date:-

NAME:-

Place:-

ADDRESS:-

Item's Name	Minimum Technical Specification
Air Conditioner	2 टन एवं 2.5 टन क्षमता वाला, 5 स्टार रेटिंग, ड्यूबल इन्वर्टर एवं लगभग 5 इन 1 कंवर्टेबल, कूलिंग कैपेसिटी 50 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस, रिमोट, इलेक्ट्रिक कन्ज्यूम एयरकंडीशनर, वारंटी मिनिमम 5 वर्ष एवं कम्प्रेसर पर 10 वर्ष
Almira	22 गेज में, लगभग 6 उचाई सहित
Books Reck	आयरन चार सेल्व
Table	ऑफिस टेबल लकडी L shape
Visitors chairs	लकडी मय बेक साईड कुशन

Date

Authorised Signatory

Name :-

Designation :-



Certificate of Conformity/No Deviation (to be filled by the bidder)

Certificate

This is certify that, the specifications of Hardware & Software which I/We have mentioned in the Technical bid, and which I/We shall supply if I/We am/are awarded with the work, are in conformity with the minimum specifications of the Tender/bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specifications.

Also, I/We have thoroughly read the tender/bidding document and by signing this certificate, we hereby submit our token of acceptance to all the tender terms & conditions without any deviations.

I/We also certify that the price I/We have quoted is inclusive of all the cost factors involved in the end-to-end implementation and execution of the project, to meet the desired standards set out in the Tender/bidding document.

Thanking You,

Name of the Bidder :-

Authorised Signatory :-

Seal of the organization :-

Date :-

Place :-

Undertaking of Authenticity of all items and Allied equipments

Reference :.....Dated

This has reference to the items being supplied/quoted to you vide our bid ref. no..... dated.....

We hereby undertake that all the components/parts/assembly/software used in the equipment shall be genuine, original and new components/parts/assembly/software from respective OEMs of the products and that no refurbished/duplicate/second hand components/parts/assembly/software are being used or shall be used. In respect of licenced operating systems, we undertake that the same shall be supplied along with the authorized source for use in India.

In case, we are found not complying with above at the time of delivery or during installation, for the equipment already billed, we agree to take back the equipment already supplied at our cost and return any amount paid to us by you in this regard and that you will have the right to forfeit our EMD/SID/PSD for this bid or debar/black list us or take suitable action against us.

Authorised Signatory

Name :-

Designation :-



Financial bid undertaking (on bidders letterhead in technical bid)

Reference : Dated

Dear Sir,

We, the undersigned bidder, having read & examined in detail, the bidding document, the receipt of which is hereby duly acknowledged, I/we, the undersigned, offer to supply/work as mentioned in the scope of the work, Bill of Material, Technical specifications, service level standards & in conformity with the said bidding document for the same.

I/We undertake that the prices are in conformity with the specifications prescribed. The quote/price are inclusive of all cost likely to be incurred for executing this work. The prices are quoted as required in the price-bid given in Annexure-5.

I/We undertake, if our bid is accepted, to deliver the goods in accordance with the delivery schedule specified in the schedule of requirements.

I/We hereby declare that in case the contract is awarded to us, we shall submit the contract performance guarantee as prescribed in the bidding document.

I/We agree to abide by this bid for a period of after the last date fixed for bid submission and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiry of that period.

Until a formal contract is prepared and executed, this bid, together with your written acceptance thereof and your notification of award shall constitute a binding contract to the best of our knowledge and belief.

We understand that you are not bound to accept the lowest or any bid you may receive. We agree to all the terms & condition as mentioned in the bidding document and submit that we have not submitted any deviations in this regard.

Date :

Authorised Signatory

Name :-

Designation :-

